रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2009/वैशाख 10, 1931

No. 254] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2009/VAISAKHA 10, 1931

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 295(अ).—पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, एतद्द्वारा पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कम्पनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत: :—

1. (1) इन विनियमों को पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कम्पनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2009 कहा जाएगा ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (कम्पनियों को नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में—

(क) खंड (i) के बाद विनियम 2 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित खंड सम्मिलित किया जाए, नामत: :—

'(ण) ''असफल कम्पनी'' का अर्थ है वह कम्पनी जो बोली लगाती है किन्तु प्राधिकार प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाती ।';

(ख) उप-विनियम (6) के खंड (झ) में विनियम 5 में शब्द ''बोली बाँड'' के बाद दो स्थानों पर शब्द ''बैंक गारंटी के रूप में'' जोड़े जाएं;

(ग) विनियम 9 में उप-विनियम (2) को उप-विनियम (3) के रूप में दोबारा लिखा जाए तथा उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाए, नामत: :—

''(1) चयनित कम्पनी द्वारा बोली बाँड के बराबर की राशि के लिए किसी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट या पे-आर्डर या बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन बांड प्रस्तुत किए जाने के बाद उसे प्राधिकार जारी किया जाना चाहिए तथा बैंक गारंटी पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (विशेष रूप से नगर या स्थानीय प्राकृतिक वितरण नेटवर्क) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनी को प्रदान की गई विशिष्ट अवधि और तत्पश्चात् बोर्ड द्वारा प्राधिकार प्रदान करने की अवधि तक के लिए वैध होगी ।

(2) बोली बांड तथा निष्पादन बाँड की राशि को लाख रुपए के निकटतम गुणज तक पूर्णांकित किया जाएगा और इसके लिए पैसे के रूप में रुपए के किसी भाग की अनदेखी की जाएगी और तत्पश्चात् यदि ऐसी राशि लाख का गुणज नहीं है, और यदि उस राशि में अंतिम अंक पचास हजार या अधिक है तो राशि को अगली ऊंची राशि तक बढ़ाया जाएगा जो लाख का गुणज हो और यदि उस राशि में अंतिम अंक पचास हजार से कम है तो अगली न्यूनतम राशि को घटाकर कम कर दिया जाएगा जो लाख का गुणज हो ।''

[फा. सं. एस-प्रशा/II/8/2008-खंड I]

रतन पी. वातल, सचिव

पाद टिप्पण.—प्रमुख विनियमों को सा.का.नि. 196(अ) दिनांक 19 मार्च, 2008 द्वारा अधिसूचित किया गया था तथा तत्पश्चात् सा.का.नि. 800(अ) दिनांक 19 नवम्बर, 2008 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था ।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2009

G.S.R. 295(E).—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2009 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008,—

(a) in sub-regulation (1) of regulation 2, after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :—

'(j) "unsuccessful entity" means the entity which submits bid but does not qualify for grant of authorization.';

(b) in regulation 5, in clause (h) of sub-regulation (6), at two places, after the words "bid bonds", the words "in the form of Bank Guarantee" shall be interested;

(c) in regulation 9, sub-regulation (2) shall be re-numbered as sub-regulation (3) and for sub-regulation (1), the following sub-regulations shall be substituted, namely :—

"(1) Grant of authorization shall be issued to the selected entity after it furnishes the performance bond in the form of demand draft or pay order or bank guarantee from any scheduled bank for the amount equal to that of bid bond and the bank guarantee shall be valid for the period of exclusivity as granted to the entity under the provisions of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity to City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and thereafter for the period of grant of authorization by the Board.

(2) The amount of the bid bond and performance bond shall be rounded off to the nearest multiple of lakh rupees and for the purpose any part of a rupee consisting of paise shall be ignored and thereafter if such amount is not a multiple of lakh, then, if the last figure in that amount is fifty thousand or more, the amount shall be increased to the next higher amount which is a multiple of lakh and if the last figure in that amount is less than fifty thousand, the amount shall be reduced to the next lower amount which is a multiple of lakh.".

[F. No. S-Admn./II/8/2008-Vol. I]

RATAN P. WATAL, Secy.

Foot Note.—Principal regulations were notified *vide* No. G.S.R. 196(E) dated 19th March, 2008 and subsequently amended *vide* G.S.R. 800(E) dated 19th November, 2008.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.